2017/00100

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 03/2017 (निगरानी)

उनवान

विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0)

(निगराकार)

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोनियां पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा
2. सचिव ग्राम पंचायत हिंगोनियां पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा
3. कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र ग्राम जगदीशपुरा

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री अनिल शर्मा (अभिभाषक निगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध ग्राम पंचायत हिगोंनिया पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख अधिनियम 157 (1) (क) (ख) क्रम सं0 29 दिनांक 20.10.2010

निर्णय दिनांक : 08.11..2019

1. निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1996 में ग्राम पंचायत हिगोंनिया पंचायत समिति सांगोद के द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख अधिनियम 157 (1) (क) (ख) क्रम सं0 29 दिनांक 20.10.2010 को निरस्त करवाने हेतु दिनांक 03.05.2017 को प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि दिनांक 20.10.2010 को सरपंच ग्राम पंचायत हिगोंनिया के द्वारा आंगनबाडी केन्द्र ग्राम जगदीशपुरा के मध्य विक्रय विलेख का अनुबंध किया गया जिसके तहत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं0 3 के अनुसार निःशुल्क 40 गुणा 54 वर्गफीट का भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 2160 वर्गफीट आवंटित किया गया । उक्त पट्टे के अनुसार आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक कोई निर्माण कार्य नही किया ना ही कोई आंगनबाडी का केन्द्र वहां संचालित है । वर्तमान मे आवश्यकता महसूस होने पर ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टे की कानूनी रूप से जांच की गयी एवं वर्तमान मे आंगनबाडी केन्द्र राजकीय प्राथमिक विघालय जगदीशपुरा मे संचालित है पट्टा कानूनी रूप से जारी नही किया गया है । ग्राम पंचायत हिगोंनिया द्वारा दिनांक 02.03.2017 को जांच की गयी जांच के दौरान ग्राम पंचायत हिंगोनियां द्वारा आंगनबाडी केन्द्र जगदीशपुरा को पट्टा सं0 34804 दिनांक 8.12.2010 को जारी किया गया था जिसमे खसरा नम्बर अंकित नही किया गया है तथा पट्टे पर क्रेता के हस्ताक्षर व पट्टे के पिछले भाग पर सरपंच,सचिव, क्रेता के हस्ताक्षर नही है । खसरा नं0 का अंकन पट्टे पर नही होने से यह स्पष्ट नही हो सका कि पट्टा आबादी भूमि का जारी किया गया है तथा पंचायत को इसे जारी करने का अधिकार था भी या नही । ग्राम पंचायत द्वारा आंगनबाडी केन्द्र जगदीशपुरा का पट्टा नियम 157 (1) (क) (ख) मे जारी किया गया है जबकि इस नियम मे पुरानी पुश्तैनी गृहो का विनियमितिकरण के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जाता है तथा राजकीय भवनों/संस्थाओं को आबादी भूमि का पट्टा पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 162 के तहत निःशुल्क 500 वर्गगज तक के जारी किए जाते है । इस प्रकार ग्राम पंचायत हिगोंनिया द्वारा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जारी पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है । वर्तमान मे आंगनबाडी केन्द्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुरा मे संचालित हो रहा है तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार आंगनबाडी केन्द्रो को विद्यालय परिसर मे ही संचालित किया जाना है तथा भविष्य में आंगनबाडी केन्द्र विघालय परिसर मे ही बनाए जाने है । ऐसी स्थिति में भी ग्राम पंचायत हिगोंनिया द्वारा जारी पट्टा

उद्देश्यों की पूर्ति नही करने के कारण खारिज किए जाने योग्य है । ग्रामवासी ग्राम हिंगोनिया द्वारा आंगनबाडी केन्द्र जगदीशपुरा का पट्टा स्थल का कोई उपयोग नही किए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा लिखित मे पट्टा निरस्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है । इसलिये भी पट्टा निरस्ता किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है । अतः ग्राम पंचायत हिंगोनिया पंचायत समिति सांगोद के द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख अधिनियम 157 (1) (क) (ख) क्रम सं0 29 दिनांक 20.10.2010 एवं जारी पट्टा सं0 34804 दिनांक 8.12.2010 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकारान बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोनिया के पत्र क्रमांक/2017–18/ स्पे0–1 दि0 07.03.2018 से अवगत कराया कि पंचायत रिकार्ड मे संबंधित मिसल नही है । उनके द्वारा उक्त पट्टे की कार्यालय प्रति भिजवाई गयी ।

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक निगराकार की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम पंचायत हिगोंनिया पंचायत समिति सांगोद के द्वारा 40 गुणा 54 वर्गफीट भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 2160 वर्गफीट का पट्टा आंगनबाडी केन्द्र जगदीशपुरा को जारी किया गया । उक्त पट्टे के अनुसार आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक कोई निर्माण कार्य नही किया ना ही कोई आंगनबाडी का केन्द्र वहां संचालित है । वर्तमान मे आंगनबाडी केन्द्र राजकीय प्राथमिक विघालय जगदीशपुरा मे संचालित । पट्टा कानूनी रूप से जारी नही किया गया है । ऐसी स्थिति में भी ग्राम पंचायत हिगोंनिया द्वारा जारी पट्टा उद्देश्यों की पूर्ति नही करने के कारण खारिज किए जाने योग्य होने से पट्टा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

4. विद्धान अभिभाषक निगराकार का बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी कनवास के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 09.01.2017 में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत हिगोनियां द्वारा आंगनबाडी केन्द्र हेतु ग्राम जगदीशपुरा का पट्टा जारी किया गया था । वर्तमान मे भू.अ.निरीक्षक रिपोर्ट एवं राजकीय प्राथमिक विघालय जगदीशपुरा की रिपोर्ट के अनुसार आंगनबाडी राजकीय प्राथमिक विघालय जगदीशपुरा के एक कमरे मे संचालित है । आंगनबाडी केन्द्र जगदीशपुरा ग्राम पंचांयत हिंगोनिया के पत्र क्रमांक स्पे0–1 दिनांक 15.03.17 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है ।

5. परिणामतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत हिंगोनियां पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी दिनांक 20.10.2010 को पट्टा संख्या 34804 दिनांक 8.12.2010 को आंगनबाडी केन्द्र भवन जगदीशपुरा के नाम से जारी किया गया निरस्त किया जाता है ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(श्री नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा